[illegible]

COURT FEE INDIA बीस रुपये TWENTY RUPEES

R-318-II/14

मनबसुआ बेवा पत्नी श्री [illegible] , निवासी ग्राम बरहाई, तहसील चुरहट, जिला सीधी म0प्र0 — —निगरानीकर्ता

बनाम

1- कुंअरमणि पिता श्री देवनारायण पटेल , ग्राम बरहाई, तह. चुरहट, जिला सीधी म0प्र0,

2- सुबरनुआ पुत्री श्री भगवत पटेल ग्राम बरहाई, तह. चुरहट, जिला सीधी म0प्र0,

— गैर निगरानीकर्तागण

निगरानी विरुध्द आदेश न्यायालय तहसीलदार तहसील चुरहट जिला सीधी म0प्र0, के प्र.क्र. 11/अ-6/2011-12, दिनांक 17.1.2014, अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू राजस्व संहिता 1959 ई0 ।

माननीयवर,

निगरानी के आधार निम्नलिखित है:-

1:- यह कि माननीय अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि एवं प्रक्रिया के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है ।

2:- यह कि माननीय अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष गैर निगरानीकर्ता क्रमांक 1, 2 द्वारा आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 110 म0प्र0 भू राजस्व संहिता के अन्तर्गत प्रस्तुत किया गया था, जिसमें निगरानीकर्ता विरुध्द पक्षकार है, जिनके स्वत्व व अधिपत्य की भूमियों की विरुध्द कार्यवाही माननीय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की जारही है, [illegible] विरुध्द माननीय न्यायालय के समक्ष निगरानी दिनांक 17.1.14 आदेश के विरुध्द प्रस्तुत की जारही है ।

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक–निगरानी–318–दो / 2014 जिला–सीधी

मनबसुआ विरूद्ध चूड़ामणि व अन्य

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
05–03–2019	प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं। आवेदक द्वारा यह निगरानी तहसीलदार, तहसील चुरहट, जिला–सीधी के प्रकरण क्रमांक 11 / अ–6 / 2011–12 में पारित आदेश दिनांक 17–01–2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25–9–2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला–सीधी के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। 2/ पक्षकार दिनांक 03–05–2019 को कलेक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों। (आर0के0 जैन) सदस्य 5/3/19	